राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मुरारीलाल / सीताराम

तारीख हुक्म	2/6/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/8/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण में इस प्रकार है की माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 14/10/2019 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा वाद पत्र संख्या 308/2000 उनवानी सीताराम बनाम बंशीधर में सम्वत 2053 से 2056 में अंकित अनुसार सीताराम, गिरधारीलाल पुत्रगण पूरणमल को आधे हिस्से का एवं बंशी पुत्र बद्रीनारायण का जमाबन्दी अनुसार आधे हिस्से की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को निर्देश दिए गये कि वे सम्बन्धित तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करे, तत्तपश्चात सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25/02/2020 स्पष्ट रूप से माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों का अंकन करते हुये तहसीलदार विराटनगर को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव हेतु निर्देश दिये गये है। जिसके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है चूँकि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी विराटनगर द्वारा मात्र माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये है, जिससे स्पष्ट है की अधीनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा प्रकरण में कोई प्रारम्भिक डिक्री पारित नही की गई है कि जिसके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील संधारणीय हो। अत: अपील अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नही रहने से ख़ारिज की जाती है। चूँकि दौराने बहस यह बिन्दु उठाया गया की मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री ही नही बनी है मात्र निर्णय पारित किया गया है। इस सन्दर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। चूँकि इस न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नही आई है जिससे यह तथ्य स्पष्ट नही होता है कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री बनी है या नही, किन्तु चूँकि वाद संख्या 308/2000 उनवानी सीताराम बनाम बंशीधर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मुरारीलाल / सीताराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
216/2020	

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रारम्भिक डिक्री किया गया है। अत: प्रकरण में यदि प्रारम्भिक डिक्री नही बनी है तो सम्बन्धित पक्षकार माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने हेतु निवेदन कर सकते है एवं डिक्री प्रारम्भिक डिक्री की प्रति प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर सकते है। इस सन्दर्भ में इस न्यायालय से कोई अनुतोष दिया जाना नही बनता।

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/8/20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर